

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.स.)अवकाश.।/४०६

/2021

दिनांक 29.06.2021


श्रीमती सलोनी सकरैना (RJ1171), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर को दिनांक 26.06.2021 से 22.12.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) स्वीकृत किया जाता है।

श्री मनीष शर्मा (RJ1038), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-01, अलवर को श्रीमती सलोनी सकरैना के उन मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के माध्य-गाथ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1.ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निम्नाग्रण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निम्नारण किया जावे।

2.श्री मनीष शर्मा (RJ1038), जिनको विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निम्नारण निर्धारित मापदण्ड के अनुगाम कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रेटर (वर्गान्वितण) 29.06.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/36/2017/ ५११८

दिनांक 29.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपिन है :

1. प्रमुख शासन मन्त्रिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 1823। दिनांक 14.06.2021 के गन्दर्भ में।
3. श्रीमती सलोनी सकरैना (RJ1171), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर।
4. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर।
5. श्री मनीष शर्मा (RJ1038), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-01, अलवर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-01, अलवर।
7. मंवधित कोषालय।
8. मंवधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाक्ता रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार